न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 10/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्याः–2016/00257

बउनवानीः–अंकूलाल पुत्र गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
2. भरतलाल पुत्र गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
3. मुरली पुत्र गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
4. रसाल पुत्री गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
5. सर्मेती पुत्री गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
6. रमेशी पुत्री गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
7. बजरंगी बेवा गंगाबिशन मीना निवासी झोपडा तह0चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 301 निर्णय दिनांक 8.12.2010 वाके ग्राम झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री रंगलाल गुर्जर वकील अपीलान्ट

–: निर्णय :– **दिनांक 08.01.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 301 निर्णय दिनांक 8.12.2010 वाके ग्राम झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता गंगाबिशन का इन्तकाल दिनांक 22.9.2009 को झोपडा मे हो चुका है अपीलान्ट के अलावा भरतलाल,मुरली पुत्रान गंगाबिशन एवं रसाल,सर्मेती,रमेशी पुत्रियान गंगाबिशन एवं बजरंगी बेवा गंगाबिशन ही उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट के पिता गंगाबिशन की ग्राम झोपडा की आराजीयात का अधीनस्थ न्यायालय

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 301 दिनांक 8.12.2010 प्रशासन गांवो के संघ मे दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम अंकू पुत्री गंगाबिशन दर्ज कर दिया है जबकि उक्त नामा0 अंकूलाल पुत्र गंगाबिशन के नाम से दर्ज फैसल होना चाहिए था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व एवं तथ्यों से परे होने के कारण खारिज फरमाया जावे। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.5.2016 को जमाबन्दी की नकल लेने हेतु दिनांक 15.6.2016 को आवेदन किया गया तथा दिनांक 21.7.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 301 दिनांक 8.12.2010 को पारित करते समय अपीलान्ट गंगा बिशन का पुत्र है अथवा पुत्री के संबंध में समुचित जॉच नही की गयी है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड यथा आधार कार्ड इत्यादि में अपीलान्ट का नाम अंकूलाल पुत्र गंगाबिशन दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट अंकूलाल गंगाबिशन का पुत्र है अथवा पुत्री के संबंध मे जॉच करे एवं सभी सहखातेदारान को सुनवायी का अवसर देते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.01.30 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: